भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 438
(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों के चयन के मानदंड

438. श्री मोहम्मद हनीफ़ा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु मानदंडों का ब्यौरा क्या हैं;
(ख) लद्दाख संसदीय क्षेत्र में उक्त योजना के लाभार्थियों का ब्यौरा और संख्या क्या हैं;
(ग) उक्त योजना के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में वर्तमान में कितने लाभार्थी हैं;
(घ) संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में उक्त योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सभी के लिए आवास का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा;
(ङ) क्या सरकार ने पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्मित आवासों की गुणवत्ता की कोई जांच की है; और
(च) यदि हां, तो पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का क्रियान्वयन कर रहा है ताकि मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवास बनाने में सहायता प्रदान की जा सके। दिनांक 17.07.2025 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.12 करोड़ आवासों का संचयी लक्ष्य आवंटित किया गया है , जिसमें से 3.84 करोड़ आवासों को मंजूरी दी गई है और 2.80 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।

पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) , 2011 के आंकड़ों में दिए गए आवास अभाव मापदंडों का उपयोग करके की गई थी। पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों का अंतिम चयन सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के तहत निर्धारित आवास अभाव मापदंडों और बहिष्करण मानदंडों पर है और संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया के पूरा होने पर आधारित है। सरकार ने उन लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जनवरी 2018 से मार्च 2019 तक एक आवास+ सर्वेक्षण किया , जिन्होंने दावा किया था कि 2011 एसईसीसी के तहत उन्हें छोड़ दिया गया था और इस प्रकार संभावित लाभार्थियों की एक अतिरिक्त सूची तैयार की गई थी। 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए , पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए आवास+ सर्वेक्षण 2024 ऐप डिज़ाइन किया गया है। आवास+ 2024 सर्वेक्षण से पात्र लाभार्थियों की पहचान सर्वेक्षण पूरा होने और डेटा के सत्यापन के बाद की जाएगी।

(ख) लद्दाख संसदीय क्षेत्र में इस योजना की प्रगति निम्नानुसार है:-

मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य	स्वीकृत आवास	पूर्ण हो चुके आवास
3,004	3,004	3,004

(ग) लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में , सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईसीसी) और आवास+ 2018 सूचियों से चिन्हित सभी पात्र परिवारों को पूरा कर लिया गया है। आवास+ 2024 सर्वेक्षण से अतिरिक्त पात्र परिवारों की पहचान सर्वेक्षण पूरा होने और आंकड़ों के सत्यापन के बाद की जाएगी।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को हासिल करने के लिए , मंत्रालय मार्च 2029 तक पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ सहायता प्रदान करने के लिए लद्दाख सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी को लागू कर रहा है।

(ङ) और (च) पीएमएवाई-जी की सभी स्तरों पर सूक्ष्म निगरानी की जाती है। निर्माण की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने पर विशेष ज़ोर दिया जाता है। पीएमएवाई-जी के तहत अपनाई गई निगरानी व्यवस्था का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

i. पीएमएवाई-जी आवास के निर्माण की वास्तविक प्रगति की निगरानी जियो-टैग्ड , समय और तारीख अंकित तस्वीरों के माध्यम से की जाती है , जिन्हें निर्माण के प्रत्येक चरण पर और निर्माण पूरा होने पर अपलोड किया जाता है।

ii. मंत्रालय के राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता और क्षेत्रीय अधिकारी भी प्रगति , लाभार्थियों के चयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया आदि का आकलन करने के लिए क्षेत्रीय दौरे के दौरान पीएमएवाई-जी आवासों का दौरा करते हैं।

iii. अनियमितताओं की किसी भी गंभीर शिकायत की जांच मंत्रालय के पैनल पर स्वतंत्र राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं के माध्यम से की जाती है।

iv. राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) कार्यान्वयन, निगरानी और गुणवत्ता पर्यवेक्षण का कार्य करती है। ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को , जहाँ तक संभव हो , निर्माण के प्रत्येक चरण में 10% आवासों का निरीक्षण करना है ; जिला स्तर के अधिकारियों को निर्माण के प्रत्येक चरण में 2% आवासों का निरीक्षण करना है। पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत प्रत्येक आवास को एक ग्राम-स्तरीय अधिकारी के साथ जोड़ना है , जिसका कार्य लाभार्थी से संपर्क बनाए रखना और निर्माण में सहायता करना है।

v. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) नेटवर्क की सेवाओं का उपयोग करते हुए एक समुदाय-आधारित सहभागी निगरानी प्रणाली भी स्थापित की गई है। कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने और घर के निर्माण की प्रगति एवं गुणवत्ता की निगरानी के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) की सेवाओं का भी उपयोग किया जा सकता है।

vi. प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष में कम से कम एक बार औपचारिक सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें सभी पहलुओं की अनिवार्य समीक्षा शामिल होती है।

vii. जिन लाभार्थियों को आवास स्वीकृत हो चुके हैं , उन्हें सहायता राशि का भुगतान आवास सॉफ्ट-पीएफएमएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीधे उनके बैंक/डाकघर खातों में किया

जाता है। यह लाभार्थियों को वितरित की गई निधियों की रीयल टाइम निगरानी करके बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

viii. योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मापदंडों की प्रगति की निगरानी प्रदर्शन सूचकांक डैशबोर्ड के माध्यम से की जाती है, जो आवश्यक क्षेत्रों में उचित उपाय की योजना बनाने में सहायता प्रदान कर रहा है।